10/2023

प्रार्थना पत्र सं. 435/2022

हजारी लाल बनाम भूमिधारी

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 ता 11 में दर्ज भूमियों में प्रार्थी के पिता का नाम विभिन्न प्रकार धोलिया पुत्र कालू, धोल्या पुत्र कालू, धोलाराम पुत्र कालू, दोलाराम पुत्र कालू, छाजा पुत्र कालू दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम दोलाराम पुत्र कालूराम है। प्रार्थी व प्रार्थी के पिता के अन्य दस्तावेज में भी दोलाराम पुत्र कालूराम दर्ज है ग्रामीण परिवेश में प्रार्थी के पिता को जैस बोला जाता था उसी अनुसार भिन्न– नाम सहवन से दर्ज हो गये। दस्तावेज पेश किये है। पटवारी जी एवं तहसीलदार जी ने भी जॉच कर रिपोट पेश की है। जिन्होने भी प्रार्थी के पिता का सही नाम दौलाराम पुत्र कालूराम होना पाया जाकर दुरूस्त किया जाना उचित माना है जिससे मेरा प्रार्थना पत्र पूर्णत्या साबित होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें ।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड दस्तावेज फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का श्यामपुरा एवं तहसीलदार पाटन अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 32, 64, 69, 98, 141, 149, 177, 178, 179, 180, 188 में प्रार्थी के पिता का नाम धोलिया पुत्र कालू, धोल्या पुत्र कालू, धोलाराम पुत्र कालू, दोलाराम पुत्र कालू, छाजा पुत्र कालू दर्ज है। प्रस्तुत राशनकार्ड, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का श्यामपुरा एवं तहसीलदार पाटन के अवलोकन से पाया गया कि उक्त सभी नाम एक ही व्यक्ति के है जिसका सही नाम दोलाराम पुत्र कालूराम है। अतः प्रस्तुत दस्तावेज रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं तहसीलदार पाटन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है:–

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
बगड़ावा	खाता सं. 32, 98	धोलिया पुत्र कालू	दोलाराम पुत्र कालूराम
बगड़ावा	खाता सं. 64, 69, 141,177, 178,180	धोल्या पुत्र कालू	दोलाराम पुत्र कालूराम
बगड़ावा	खाता संख्या 149	धोला पुत्र कालू	दोलाराम पुत्र कालूराम
बगड़ावा	खाता सं. 179	धोल्या पुत्र कालूराम व धोलाराम पुत्र कालूराम	दोलाराम पुत्र कालूराम
बगड़ावा	खाता सं. 188	छाजा पुत्र कालू	दोलाराम पुत्र कालूराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajv
Yadav
Date: 2024.11.30 14:01
Reason: SelfAttested

शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। तदनुसार दुरूस्ती हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)